प्रेस प्रकाशनी

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय समिति

30 नवम्बर 2007

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा (पैराग्राफ 160) में की गई घोषणा के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र में हाल की गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा करने और उसकी प्रभाव क्षमता में सुधार लाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। उच्च स्तरीय समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :

1	श्रीमती उषा थोरात उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	अध्यक्ष
2	श्रीमती मंजुला सुब्रमणियन आइएएस, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार	सदस्य
3	श्री आर.जे.एम.पिल्लई आइएएस, विकास आयुक्त बिहार सरकार	सदस्य
4	श्री सुधाकर राव आइएएस, अति . मुख्य सचिव और विकास आयुक्त कर्नाटक सरकार	सदस्य
5	श्री एच.एस.दास आइएएस, प्रधान सचिव (वित्त), असम सरकार	सदस्य
6	श्री एम.वी.नायर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	सदस्य
7	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , पंजाब नैशनल बैंक	सदस्य

8 श्री अनूप बैनर्जी — सदस्य
डीएमडी, भारतीय स्टेट बैंक

9 श्री एम. बालचंद्रन — सदस्य
निदेशक, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, मुंबई

10 श्री बी. विजयेंद्र — सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक, राजस्थान,
भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर

11 श्री जी.श्रीनिवासन — सदस्य-सचिव
मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना
और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

इस उच्च स्तरीय समिति की सभी बैठकों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अध्यक्ष स्थायी आमंत्रिती होंगे। समिति परस्पर चर्चा/विचारों के आदान-प्रदान के लिए अन्य अधिकरियों/विशेषज्ञों/स्टेक धारकों को आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

समिति के विचारार्थ विषय होंगे, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र में हाल की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा करना और समीक्षा के आलोक में :

i. अग्रणी बैंक योजना के लिए व्यापक लक्ष्य और संभावनाओं की सूची तैयार करना;

ii. इस योजना के अंतर्गत विभिन्न समितियों/फोरम और कार्यकर्ताओं को युक्तिसंगत बनाने हेतु सिफारिशें करना;

iii. योजना की प्रभाव क्षमता में सुधार के लिए उपायों, खासकर बेहतर विकेंद्रीकृत नज़रिए को प्रोत्सहित करने, नीतियों/दिशानिर्देशों के प्रचार-प्रसार, स्थानीय स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन और बैंक के उत्पादों/नीतियों पर जागरूकता लाने के लिए सिफारिशें करना;

iv. बैंकिंग प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए समय पर और लगातार जानकारी तथा निगरानी प्रणाली के संबंध में सिफारिशें करना और;

v. उपर्युक्त के आधार पर व्यापक दिशानिर्देश और अनुदेशों की नियम-पुस्तिका तैयार करना।

समिति अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 के अंत तक प्रस्तुत करेगी।